(वाद संख्या–5589/16)

06.12.2019

परिवादी, श्री निवास राम, ग्राम+पो0–सिकरिया, अंचल–विहिया, जिला–आरा की ओर से एक आवेदन दिये जाने पर संचिका संख्या–BHRC/COMP-5589/16 उपस्थापित की गयी है।

संचिका के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि परिवादी द्वारा उसे वर्ष–2011 में उसके दादा के नाम से चले आ रहे खतियानी जमीन का पर्चा काटकर उसे तथा उसके भाई, राम निवास राम को 3–3 डी0 बंदोबस्त की गयी थी। उसे बंदोबस्त की गई जमीन पर सरकार द्वारा सड़क का निर्माण किया गया है जिसके संबंध में उसने वरीय पदाधिकारियों के समक्ष शिकायत भी की थी, परन्तु उसकी शिकायत का कही कोई समाधान नहीं किया गया।

आयोग के पहल पर परिवादी के परिवाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों पर अंचलाधिकारी, बिहियाँ, (भोजपुर) द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी श्री निवास राम सहित चार व्यक्तियों को वाद सं0–09/2011–12 से खेसरा सं0–753 में 3–3 डी0 भूमि का वासगीत पर्चा दे दिया गया है। परिवादी को बंदोबस्त की गयी जमीन ग्रामीण सड़क के दक्षिण–पूरब अवस्थित है। स्थल पर अंचल अमीन, हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता व स्वयं अंचल अधिकारी, बिहियाँ की उपस्थिति में मापी करायी गयी। मापी से यह प्रतीत हुआ कि **ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा जो सड़क का निर्माण किया गया है, उस सड़क से 6 इंच छोड़कर उत्तर–दक्षिण 62 फीट लम्बा और पूरब–पश्चिम 21 फीट चौड़ा कुल, 1302 वर्गफिट जमीन परिवादी के** दखल–कब्जा में है, तो ऐसी परिस्थिति में आयोग के स्तर पर उक्त के संबंध में कोई कार्रवाई अपेक्षित प्रतीत नहीं होता है।

आयोग के स्तर पर परिवादी के आवेदन का निस्तारण किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक